भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1608

दिनांक 20.09.2020/ 29 भाद्रपद, 1942 (शक) को उत्तर के लिए

जम्मू और कश्मीर में अधिवास संबंधी आवेदन

†1608. श्री पी.पी. चौधरीः
श्री कौशल किशोरः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कितने व्यक्तियों ने जम्मू और कश्मीर प्रशासन से राज्य के अधिवासी होने संबंधी आवेदन किया है;

(ख) उक्त आवेदन को किस आधार पर अस्वीकृत या स्वीकृत किया जा रहा है और अब तक कितने आवेदन अस्वीकृत किए गए हैं;

(ग) जम्मू और कश्मीर प्रशासन द्वारा कितने अधिवास संबंधी प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं;

(घ) इसके अंतर्गत अनुच्छेद 370 और 35-ए को हटाने वाले संशोधन के बाद से (क) तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान (ख) वर्ष 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के परिणामस्वरूप जम्मू और कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों (ग) जम्मू और कश्मीर के पाकिस्तान-अधिकृत क्षेत्रों से विस्थापित लोगों और (घ) निर्वासित कश्मीरी हिंदू प्रवासियों के पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या नए नियमों के तहत कश्मीरी पंडितों को अधिवास संबंधी मान्यता प्रदान की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी)

(क): जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, कुल 21,13,879 व्यक्तियों ने अधिवास प्रमाणपत्र हेतु आवेदन किया है।

(ख): जम्मू और कश्मीर अधिवास प्रमाणपत्र की मंजूरी (प्रक्रिया) नियमावली, 2020 के नियम 5 के अनुसार, आवेदन के साथ कतिपय दस्तावेजों को संलग्न किया जाना अनिवार्य है। ऐसे

आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाता है, जिनके साथ निर्धारित दस्तावेज नहीं होते हैं। जम्मू और कश्मीर सरकार का संगत आदेश उनकी वेबसाइट https://jkgad.nic.in पर उपलब्ध है।

आवेदन के साथ निर्धारित दस्तावेज संलग्न न किए जाने के कारण अब तक कुल 1,21,630 आवेदनों को अस्वीकृत किया गया है।

(ग): 16,79,520

(घ):

(क) भारत सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के प्रवासियों को राहत और उनके पुनर्वास हेतु कई उपाय किए थे, जिनमें निम्नलिखित उपाय शामिल हैं:

i) प्रवासियों को भोजन, आश्रय और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा राहत कैम्प खोले गए थे। कैम्प से बाहर के प्रवासियों को भी पुनर्वास सहायता प्रदान की गई थी।

ii) कृषक परिवारों को भूमि/भूमि तथा कृषि संबंधी उपकरणों की खरीद आदि के लिए ऋण प्रदान किया गया था। गैर-कृषक परिवारों को व्यापार, छोटे धंधे और पेशेवर व्यवसाय करने के लिए ऋण प्रदान किए गए थे।

iii) कई व्यावसायिक और प्रशिक्षण स्कीमें शुरू की गई थीं।

iv) विस्थापित व्यक्तियों हेतु रोजगार सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए उद्योगों की स्थापना हेतु विस्थापित व्यक्तियों और निजी उद्योगपतियों को सुविधाएं प्रदान की गई थीं।

(ख) और (ग) प्रांतीय पुनर्वास अधिकारी (पीआरओ), जम्मू और कश्मीर (जे एंड के) के पास रखे गए पंजीकरण आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान कुल 6,565 परिवारों को छम्ब नियाबत क्षेत्र से विस्थापित परिवारों के रूप में पंजीकृत किया था।

वर्ष 1971 के विस्थापित परिवारों के लिए, 4 एकड़ (सिंचित) अथवा 6 एकड़ (गैर-सिंचित) की दर से कृषि भूमि आवंटित की गई थी। प्रति परिवार 7,500/- रुपए के नकद मुआवजे का भी भुगतान किया गया था। विस्थापित परिवारों के पुनर्वास की संपूर्ण प्रकिया की निगरानी "छम्ब विस्थापित व्यक्ति पुनर्वास प्राधिकरण (सीडीपीआरए)" द्वारा की गई थी।

वर्ष 1947 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के कारण, कुल 31,619 परिवार पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर (पीओजेके) से विस्थापित हो गए थे, जिनमें से 26,319 परिवारों ने पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य में पंजीकरण कराया और वहां बस गए। कुल 5,300 परिवारों ने आरंभ में पीआरओ, जम्मू और कश्मीर के पास पंजीकरण कराया और उसके पश्चात् वे देश के अन्य भागों में चले गए।

वर्ष 1947 के ऐसे विस्थापित परिवार, जो जम्मू और कश्मीर में रूक गए थे, उनके लिए जम्मू और कश्मीर सरकार ने प्रति परिवार 4-8 एकड़ कृषि भूमि आवंटित की थी। जो परिवार शहरी क्षेत्रों में बस गए थे, उन्हें प्रति परिवार 3500/- रुपए की अनुग्रह नकद राशि के साथ-साथ भूखंड/क्वार्टर प्रदान किए गए थे। ऐसे परिवार, जिन्हें निर्धारित पैमानों के अनुसार भूमि आवंटित नहीं हुई, उन्हें भारत सरकार द्वारा भूमि की कमी के एवज में नकद मुआवजा संस्वीकृत किया गया था। अन्य परिवारों को उनके पुनर्वास के लिए नियत पैमाने के अनुसार भूमि/भूखंड/क्वार्टर आवंटित किए गए थे। ऐसे विस्थापित परिवार, जो जम्मू और कश्मीर में नहीं बसे, उन्हें पंजीकरण के समय प्रति परिवार 3500/- रुपए की अनुग्रह राशि का भुगतान किया गया था।

पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर तथा छम्ब के विस्थापित परिवारों की कठिनाइयों को कम करने के लिए, भारत सरकार ने दिनांक 22 दिसंबर, 2016 को "प्रधानमंत्री विकास पैकेज-2015" के तहत 2000 करोड़ रुपए के परिव्यय से एक पुनर्वास पैकेज अनुमोदित किया था। इस पैकेज के अंतर्गत, विस्थापित परिवारों को प्रति परिवार 5.5 लाख रुपए (केन्द्रीय अंश 5,49,692/- रुपए है और राज्य का अंश 308/- रुपए है) की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

सितंबर, 2019 में, भारत सरकार ने पीओजेके के उन 5,300 विस्थापित परिवारों को भी शामिल करने का अनुमोदन प्रदान किया, जो आरंभ में जम्मू और कश्मीर से बाहर चले गए थे, परन्तु बाद में लौट आए तथा जम्मू और कश्मीर में बस गए। ऐसे परिवार भी प्रति परिवार 5.5 लाख रुपए की एकमुश्त वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं।

(घ) जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, अनुच्छेद 370 और 35क को हटाए जाने के बाद किसी भी कश्मीरी हिंदू परिवार ने जम्मू और कश्मीर से प्रवास नहीं किया है।

(ङ) और (च): जी, हां। यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है।

******